

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प. 3(119)नवि/3/09

जयपुर, दिनांक

18 FEB 2011

:: शुद्धि - पत्र ::

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 24.11.2010 के बिन्दु संख्या 1 व 2 में निम्नानुसार लिखा हुआ पढा समझा जावे :-

बिन्दु संख्या 1 में अंकित " सम्पूर्ण राशि संबंधित नगर विकास न्यास/नगर निकाय में जमा करवाई जावे " के स्थान पर " देय सम्पूर्ण राशि में से राज्य की सिंचित निधि व संबंधित जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर निगम/परिषद/पालिका के कोष में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित अनुपात में जमा करवाई जावे। "

" बिन्दु संख्या 2 में अंकित सम्पूर्ण राजस्व राशि भी संबंधित नगर विकास न्यास/नगर निकाय में जमा करवाई जावे। " के स्थान पर " देय सम्पूर्ण राशि में से राज्य की सिंचित निधि व संबंधित जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर निगम/परिषद/पालिका के कोष में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित अनुपात में जमा करवाई जावे। "

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव